संख्याः / XIX / 2004

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग

देहरादूनः दिनॉकः 11 जून, 2004

विषयः भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1981 के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र मैमो / 2004 / रा0आ0 दिनॉक 12 अप्रैल, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला फोरम में परिवाद दाखिल करने हेतु प्राप्त होने वाले निर्धारित शुल्क / धनराशि को राजकोष में जमा करने हेतु खाद्य विभाग के लिए आवंटित प्राप्ति का लेखाशीर्षक–1456–सिविल पूर्ति–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–खाद्य और रसद विभाग की प्राप्तियॉ–03–अन्य विविध प्राप्तियॉ के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करायी जायेंगी। कृपया अपनी प्राप्ति को उक्त लेखाशीर्षक में जमा करने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 499 / वित्त अनु0–3 / 2004 दिनांकः 09 जून, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्याः 237 (1) / XIX / 2004तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी / समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त नियंत्रक, खाद्य, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
उप सचिव।